

## राजस्थान राज-पत्र विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 26. सोमवार, शाके 1929—सितम्बर 17, 2007 Bhadra 26, Manday, Saka 1929—September 17, 2007

भाग । (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

अधिराूचना

जयपुर, सितम्बर ६, 2007

संख्या एफ.8 आ. प्र. एवं स. आ./आ. प्र. /03/19360:—आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धार्ण 14 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राजस्थान राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना करती है, जो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राज्य प्राधिकरण की शक्तियों एवं कार्यों का निर्वहन करेगा। उक्त प्राधिकरण के निम्नलिखित सदस्य होंगे

41 * 2 5	(日本監督) 1.11 11.25	
1.	वित्त मंत्री	सदस्य
2.	,गृह मत्री	सदस्य
3.	,आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री	सदस्य
4,	ंजल संसाधन/मंत्री	सदस्य
5.	ग्रामीण विक(स एवं पंचायती राज मंत्री	सदस्य
€.	कृषि एवं पशुषा्लन भंत्री	सदस्य
7:	चिकित्सा एवं स्वोस्थ्य मंत्री	सदस्य
€.	स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री	सदस्य

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 14 (4) के प्रावधान के अनुसार मुख्य सचिव जो राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं, को राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है एवं प्रमुख शासन सन्विव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता को सदस्य सचिव नियुक्त किया जाता है।

इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप—धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा उक्त प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नामित किया जावेगा।

> सी के. मैथ्यू, प्रमुख शासन सचिव, आददा प्रगन्धन एवं सहायता।

## Disaster Management & Relief Department

## NOTIFICATION

## Jaipur, September 6, 2007

F.8 (4) DM & R/DM/03/19360. In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 14 of the Disaster Management Act, 2005 the State Government hereby establish. Authority to be known as Rajasthan State Disaster Management Authority under the Chairmanship of Chief Minister, to discharge the powers and functions of the State Authority under the said Act. The members of the said Authority are:

1.	Finance Minister	Member
2.	Home Minister	Member
3.	Disaster Management & Relief Minister	Member
4.	Water Resources Minister	Member
5.	Rural Development & Panchayati Raj Minister	Member
6.	Agriculture and Animal Husbandry Minister	Member
7.	Medical & Health Minister	Member
8.	Local Self & Urban Development Minister	Member

As per provision of section 14 (4) of the Disaster Management Act, 2005, Chief Secretary being the Chairperson of the State Executive Committee, is appointed as the Chief Executive Officer of the State Disaster Management Authority, and Principal Secretary, Disaster Management & Member Secretary.

Further in exercise of the powers conferred by sub section (3) of 14 the said Act, the Chairperson of Rajasthan State Disaster Management Authority can Designate any member of said Authority as Vice Chairman.

सी.के. मैथ्यू

Principal Secretary

Disaster Management & Relief.